राजस्व अपील संख्या 66 / 2024

अनवान

कनिकादेवी वगैराह बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक 15.03.2024

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बावडी जिला जोधपुर ग्रामीण के द्वारा प्रकरण संख्या 187 / 2023 अनवान तहसीलदार बावडी बनाम कनिकादेवी वगैराह में पारित आदेश दिनांक 27.02.2024 के द्वारा ग्राम बावडी चक द्वितीय तहसील बावडी के ख0सं0 381, 303, 305 / 4, 305 / 5 की रकबा भूमि में से मौके पर चल रहे चालू रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने बाबत पारित निर्णय विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो आज पेश हुई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 27.02.2024 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 305 / 5 व 305 / 4 की हद तक आंशिक रूप से निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार बावडी से मौका जॉच करवाकर मौका फर्द तैयार करावें। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, बावडी उक्तानुसार तैयार मौका फर्द व उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात पुनः संशोधित आदेश पारित करें। कोई भी पक्ष उपरोक्त चलायमान रास्ते को बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

15/03/24

(अजीत सिंह राजावत)